अनुमान्य क्षेत्रीय / जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य होगा।

क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा की परीक्षा में परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी हो एवं उस भाषा में वे शुद्ध शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हैं।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भाषा-II में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या- 1428 दिनांक 10.03.2023 एवं अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10.03.2023 में उल्लेखित 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा की परीक्षा देना अनिवार्य होगा।

परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी हो एवं उस भाषा में वे शुद्ध शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हैं।

21. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 12 में निम्न प्रावधान अंकित है –

शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकार को **प्रत्येक वर्ष में** कम से कम एक परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य होगा।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकार नियमानुसार परीक्षा आयोजित करने हेतु उत्तरदायी होगा।

22. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 3 में अंकित प्रावधान को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है –

क्र.	वर्तमान प्रावधान			क्र.	प्रतिस्थापित प्रावधान		
खण्ड	**विषय**	**बहु-विकल्पीय प्रश्नों की संख्या**	**पूर्णांक**	**खण्ड**	**विषय**	**बहु-विकल्पीय प्रश्नों की संख्या**	**पूर्णांक**
I.	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति	20	20	I.	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति	30	30
II.	भाषा-I (a) सहायक शिक्षक : हिन्दी एवं अंग्रेजी (हिन्दी के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न) (b) उर्दू सहायक शिक्षक: उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)	40	40	II.	भाषा-I (a) सहायक आचार्य/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य : हिन्दी एवं अंग्रेजी (हिन्दी के लिए 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न) b) सहायक आचार्य (उर्दू): उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न)	30	30
III.	भाषा- II	40	40	III.	भाषा- II	30	30

क्षेत्रीय / जनजातीय भाषा			कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 1428 दिनांक 10.03.2023 से अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा।		
गणित	50	50	गणित	30	30
पर्यावरण अध्ययन	50	50	**सामान्य अध्ययन**	30	30
कुल	**200**	**200**	**कुल**	**150**	**150**

नोट: परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों (कक्षा 1 से 5 के लिए) को झारखंड अधिविद्य परिषद्, राँची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा चयनित किये गये विकल्पों यथा–सहायक आचार्य / विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य / सहायक आचार्य (उर्दू) तथा चयनित भाषा–II का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। सहायक आचार्य (उर्दू) के प्रतिभागी द्वारा भाषा–II में उर्दू भाषा का चयन अनिवार्य होगा।

23. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 4 में अंकित प्रावधान को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है –

क्र	वर्तमान प्रावधान					क्र	प्रतिस्थापित प्रावधान				
खण्ड			विषय	बहु–विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	खण्ड			विषय	बहु–विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
1.	अनिवार्य	I.	**बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति (अनिवार्य)**	20	20	1.	अनिवार्य	I	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति (अनिवार्य)	30	30
		II	भाषा– I **(a) सामान्य शिक्षक:** हिन्दी एवं अंग्रेजी, या (हिन्दी / संस्कृत के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न) **(b) उर्दू शिक्षक** : उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)	40	40			II	(a) सहायक आचार्य / विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य : हिन्दी एवं अंग्रेजी (हिन्दी के लिए 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न) b) सहायक आचार्य (उर्दू): उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न)	30	30
		III.	**भाषा–II** क्षेत्रीय / जनजातीय भाषा	40	40			III.	भाषा–II कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10.03.2023 से अधिसूचित भाषा	30	30